

seats both are to be filled on the basis of merit. The fee to be charged by professional colleges in each State will be as decided by a State Committee.

The Supreme Court has covered only the private, unaided professional colleges with a view to ensure abolition of capitation fee and admissions to be made on the basis of merit alone.

बिहार में ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा

3390. श्री एस० एउ० अहलुवालिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक अपनी बालिकाओं की शिक्षा से वंचित रखते हैं तथा विद्यालयों में उनका दाखिला नहीं करवाने हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने हेतु उनके अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कौन-कौन से उपाय करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) में (घ) बिहार शिक्षा परियोजना वर्ष 1991-92 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना करना है । यमसेफ द्वारा सहायता प्राप्त

इस परियोजना में बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने की परिकल्पना की गई है । महिलाओं की शिक्षा तथा विकास पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे शिक्षा में समानता की दिशा में आगे बढ़ सकें । कुल 360 करोड़ रु० के परिव्यय की परियोजना में 20 जिलों में फैले 150 ब्लॉकों को चरणबद्ध क्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है । बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् नामक एक राज्य स्तरीय स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई है । इसके अलावा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के परामर्श से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्य योजना, 1992 तैयार की गई है जिसमें 2000 ईसवी सन् तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय करने तथा कार्य नीतियां तैयार करने की परिकल्पना की गई है ।

बिहार में बच्चों की शिक्षा से वंचित रखा जाना

3391. श्री एस० एस० अहलुवालिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में 5 से 10 वर्ष की आयु वाले उन बालकों तथा बालिकाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, जिन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिला-वार व्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(घ) सरकार ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?